

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV-Form No :- 562

District Mining Officer,

Lohardaga

VS

Unknown

ORDER-SHEET

(See Rule 129 of the Record Manual 1941)

Order Sheet dated from :- To.....

Case No :- 15 /2023- 24

Nature of the Case :- Confiscation Case

आदेश की क्रम सं० और तरीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
१४०७।१४	<p align="center"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित</p> <p>यह अधिग्रहण वाद संख्या 15/2023-24 जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 226/एम० दिनांक 21.03.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें मौजा सढ़ाबे डुमर टोली के उत्तर अवधि साहू के घर के सामने एवं पीछे तथा गांव के उत्तर वीर शहीद पोटो-हो-खेल मैदान के पश्चिम भाग में अवैध रूप से भण्डारित/संग्रहित बालू 15500 घन फीट को राज-सात करने हेतु प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया।</p> <p>प्रस्ताव के आलोक में The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के नियम 11 (V) के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की गयी तथा जप्त बालू को नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से एक जांच दल का गठन दिनांक 30.03.2024 को किया गया।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के ज्ञापांक 238 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। देखा।</p> <p>अधिग्रहण वाद की कार्रवाही में अबतक किसी द्वितीय पत्र की ओर से दावा / आक्षेय प्राप्त नहीं हुआ।</p> <p>अतः मौजा सढ़ाबे डुमर टोली के उत्तर अवधि साहू के घर के सामने एवं पीछे जप्त 5000.00 (पांच हजार) घन फीट बालू तथा गांव के उत्तर वीर शहीद पोटो-हो-खेल मैदान के पश्चिम भाग में अवैध भण्डारित 10500.00 (दस हजार पांच सौ) घन फीट बालू कुल 15500.00 (पन्द्रह हजार पाँच सौ) घन फीट बालू को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के नियम 11 (V) के तहत राज्य-सात किया जाता है।</p> <p>जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा को आदेश दिया जाता है जप्त बालू</p>	

को विभिन्न विवरी करता कर इस तरीके को साकारी व्यवस्था में अपनाया जाना चाहिए।

आदेश की प्रति जिता रखना चाहिए। लोहरदारों को भेजी जाएँ। लेखालित एवं सुदृढ़ता।

१०८
१०९

३/३८८